कार्यालय उप खण्ड अधिकारी सांगोद (कोटा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 93/2022 दावा/बउनवान/कृष्णकान्त वगैरा/भानुप्रिया वगैरा

1. कृष्णकान्त आयु 80 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी शिवपुरा कोटा,
2. रमाकान्त आयु 70 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड हांल निवासी म.नं. 1–36, महावीर नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा,
3. विष्णुकान्त आयु 78 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी सभानपुरा, बडोदरा गुजरात।

–वादीगण–

–बनाम–

1. श्रीमती भानुप्रिया पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आकोदिया किराडान तहसील खानपुर जिला झालावाड,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा,

–प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 12.11.2022

वादीगण ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 के संयुक्त खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 450 रकबा 1.81 हैक्टर, खसरा नंबर 451 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नंबर 453 रकबा 1.81 हैक्टर कुल किता 3 की कुल 3.63 हैक्टर आराजी वाके ग्राम बोरीनाखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 का प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित है। प्रतिवादी क्रं. 1 द्वारा वादीगण के सगे भाई चन्द्रकान्त पुत्र श्री कन्हैयालाल 1/4 हिस्सा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 08.07.2022 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी क्रं. 1 के नाम संयुक्त रूप से खाते में दर्ज होने से मौसल का बंटवारा करने में परेशानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:30:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉगोद, जिला- कोटा

होती है तथा संयुक्त खाता होने से वादीगण को अपनी हिस्सा आराजी का विकास कार्य करवाने में परेशानी होती है। वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 के विक्रेता अर्थात् वादीगण के भाई चन्द्रकान्त द्वारा मौके पर काफी वर्षों पूर्व ही आपसी सहमति से मौके पर पारिवारिक विभाजन कर लिया था जिसके अनुसार वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 मौके पर निम्न प्रकार से पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

<u>अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 कृष्णकान्त</u> :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	450	1.81 में से 0.9050 हैक्टर पश्चिमी

<u>ब. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 2 रमाकान्त</u> :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	450	1.81 में से 0.9050 हैक्टर पूर्वी

<u>स. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 3 विष्णुकान्त</u> :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	453	1.81 में से 0.9025 हैक्टर पश्चिमी

<u>द. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 भानुप्रिया</u> :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	453	1.81 में से 0.9075 हैक्टर पूर्वी

<u>य. आराजी हिस्सा व कब्जा वादीगण कं. 1, 2, 3</u> :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	451	0.01 हैक्टर गै.मु.चाह

वादपत्र में यह भी अंकित किया गया कि वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ, ब, स, द, य के अनुसार पक्षकारान मौके पर पर पृथक–पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान के खाते व लगान पृथक–पृथक नहीं होने के कारण वादीगण को अपने–अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी में कृषि विकास कार्य करवाने व सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पडता है। [illegible] में वादीगण द्वारा प्रतिवादी कं. 1 से विभाजन करवाने को कहा तो उनके द्वारा विभाजन [illegible] असहमति व्यक्त कर दी। ऐसी परिस्थितियों में वादीगण के लिये खाता व लगान विभाजन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

वादपत्र बाबत विभाजन प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादकारण प्रतिवादी कं. 1 द्वारा बिना विभाजन में सहयोग करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी होने से राज्य सरकार को वाद में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम बोरीनाकलाँ तहसील साँगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। अतः मास ग्राम बोरीनाकलाँ तहसील साँगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादपत्र की चरण संख्या 3 के खण्ड अ. ब. स. द. य के अनुसार पक्षकारान के मध्य खाता व लगान पृथक–पृथक अंकित किये जावे तथा मुताबिक विभाजन मौके पर पत्थरगढी कायम कर वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को विभाजन अनुसार पृथक–पृथक आराजी सम्भलाई जावे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीगण की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी कं. 1 द्वारा जवाबदावा इकबालिया प्रस्तुत कर दावा वादीगण स्वीकार कर डिकी किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारों द्वारा दावा वादीगण डिकी करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड, दस्तावेजात व पक्षकारों के अभिचनों के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार करना उचित समझता हूँ।

अतः दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 कृष्णकान्त :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	450	1.81 में से 0.9050 हैक्टर पश्चिमी

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 2 रमाकान्त :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	[illegible]	[illegible] हैक्टर पूर्वी

स. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 3 [illegible] :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	453	1.81 में से 0.9025 हैक्टर पश्चिमी

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला– कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:30:56 IST
Reason: SelfAttested

द. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 मानुबिया :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	453	1.81 में से 0.9075 हैक्टर पूर्वी

य. आराजी हिस्सा व कब्जा वादीगण कं. 1, 2, 3 :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	451	0.01 हैक्टर गै.मु.चाह

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान का खाता व लगान पृथक–पृथक अंकित किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 12.11.2.2022 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

सॉंगोद

उपखण्ड अधिकारी (उपजिला अधिकारी)
सॉंगोद, जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:56 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमा इकरारी
(आर्डर 20 रूल्स 6-7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा
बहजलास – राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 93/2022 दावा/बउनवान/कृष्णकान्त वगैरा/भानुप्रिया वगैरा

1. कृष्णकान्त आयु 80 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी शिवपुरा कोटा,
2. रमाकान्त आयु 70 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी म.नं. 1–36, महावीर नगर तृतीय, कोटा जिला कोटा,
2. विष्णुकान्त आयु 78 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सारोला तहसील खानपुर जिला झालावाड हाल निवासी सभानपुरा, बडोदरा गुजरात।

–वादीगण–

–बनाम–

1. श्रीमती भानुप्रिया पत्नी श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम आकोदिया किराडान तहसील खानपुर जिला झालावाड,
2. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा,

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 53, 209 आर0 टी0 एक्ट, मि.नं. 93/2022

तारीख फैसला दिनांक 12.11.2022 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....वहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि ... दावा वादीगण स्वीकार कर वादीगण व प्रतिवादी कं. 1 को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 1 कृष्णकान्त :–

ग्राम	ख.नं.	रकवा
वोरीनाखुर्द	450	1.81 में से [illegible] हैक्टर पश्चिमी

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी कं. 2 रमाकान्त

ग्राम	ख.नं.	रकवा
वोरीनाखुर्द	450	1.81 में से [illegible]0 हैक्टर पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सॉंगोद, जिला- कोटा

स. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी क्रं. 3 विष्णुकान्त :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	453	1.81 में से 0.9025 हैक्टर पश्चिमी

द. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी क्रं. 1 भानुप्रिया :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	453	1.81 में से 0.9075 हैक्टर पूर्वी

य. आराजी हिस्सा व कब्जा वादीगण क्रं. 1, 2, 3 :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
बोरीनाखुर्द	451	0.01 हैक्टर गै.मु.चाह

उक्तानुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में पक्षकारान का खाता व लगान पृथक—पृथक अंकित किया जावे।

निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 12.11.2022 को जारी की गई।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला कोटा

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.19 10:50:56 IST
Reason: SelfAttested